①

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक : एफ4( ) भण्डार / IGPRS / 2022 / 4961-63 दिनांक: 25/2/26

खुली बोली निविदा

संस्थान में बागवानी कार्य की रेट कॉन्ट्रेक्ट हेतु खुली बोली निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(राशि रूपये लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा अपलोड़ करने की तिथि	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	बागवानी कार्य	4.50 लाख	500/–	9000/–	05.03.2026	06.04.2026

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड़ किया जा सकता है।

उक्त कार्यो हेतु निविदाऐं मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र, कार्य का विवरण व शर्ते जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जावे, उससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व शर्तो का ही प्रिन्ट लेकर निविदा प्रस्तुत करें।

(रामस्वरूप)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर अपलोड़ करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा प्रपत्र भिजवायी जाकर लेख है कि उक्त निविदा को नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये।

सहायक निदेशक (प्रशासन)

बागवानी कार्य की निविदा शर्ते व विवरण

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मो द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. टेण्डर के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि वार्षिक अनुमानित लागत का 2% (9000/-) का डी.डी. संलग्न किया जाना आवश्यक है डी.डी Indira Gandhi Panchayati Raj & Gramin Vikas Sansthan के नाम से बनाया जावेगा।
5. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
6. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
7. निविदा दिनांक 06.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
8. निविदा दिनांक 06.03.2026 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
9. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
   1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
   2. यदि भागीदारी का है–भागीदारी –डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
   3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टीकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
   4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।

11. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
13. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र, यथा
    1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण–पत्र
    2. GST का पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
    3. PAN कार्ड संलग्न करेगा
    4. वर्ष 2023-24 व 2024-25 में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत्त संस्थाएं/परियोजनाएं/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/बैंकों में कम से कम दो विभागों में कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।

5. गत दो वर्षो (2023–24 व 2024–25) में कुल 5.00 लाख का टर्न ओवर समान प्रकृति के कार्य का होना आवश्यक होगा।

14. अतिरिक्त निदेशक, संस्थान जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होंगा तथा इस कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग का कोई सरोकार नहीं होगा।

15. कार्य की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

16. गमले एवं स्थाई पौधे संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें परन्तु किसी प्रकार संयंत्र होज पाईप आदि नहीं दिया जावेगा। पानी बिजली की व्यवसथा संस्थान द्वारा ठेकेदार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जातेगी।

17. श्रम कानून को मानना होगा। न्यूनतम मजदूरी देने का दायित्व निविदादाता का होगा।

18. फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान बोनस ग्रेज्युएटी अवकाश इत्यादि, भविष्य निधि एक्ट, ई.एस.आई. एक्ट, लेबर कॉन्ट्रेक्ट, (रैगुलेशन एण्ड एवोलेशन एक्ट 1970) अन्य कानून जो कि समय–समय पर लागू हो को कान्ट्रेक्ट लेबर पर लागू होंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

19. फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिकों को विभाग में नियमित नियुक्ति, भुगतान दावा इत्यादि का अधिकारी नहीं होगा। फर्म उक्त सभी क्लेम की दत्तरदायी होगी।

20. फर्म को सभी नियमों एवं कानून द्वारा जो कि लागू हो मानने के लिए बाध्य होगी तथा पी.एफ ई. एस.आई. बोनस, न्यूनतम मजदूरी, अनुबंधित श्रमिक एवं अन्य स्थितियां जो कि कानून द्वारा लागू हों, के लिए सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी होगी। यह कार्यालय उपरोक्त के लिए किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

21. यदि किसी बागवान कर्मचारी की लापरवाही से संस्थान की किसी चल एवं अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होती है अथवा संस्थान मे चोरी की कोई वारदात होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का होगा तथा जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति अनुबन्धकर्ता फर्म को करनी होगी।

22. बागवान कर्मचारी की लापरवाही अथवा कर्त्तव्योपेक्षा के कारण होने वाली क्षति का मूल्यांकन संस्थान प्रशासन द्वारा किया जावेगा, जो कि अनुबन्धकर्ता फर्म को निर्विवाद रूप से मानना होगा।

23. स्थाई पौधे से नये पौधे तैयार किये जावेगें।

24. वर्ष में दो बार होली एवं दीपावली के अवसर पर संस्थान के गमलों एवं बगीचों की ईंटों को पेन्ट किया जावेगा। उक्त पेन्ट संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

25. संस्थान एवं दोनो हॉस्टल में लगी घास की कटिंग विद्युत मशीन द्वारा 15 दिवस में एक बार अनिवार्य रूप से करनी होगी। ऐसा न किए जाने पर बिल में से उचित सीमा तक कटौती की जा सकेगी। कटौती की सीमा के संबन्ध में अन्तिम निर्णय निदेशक संस्थान का होगा।

26. संस्थान तथा दोनो हॉस्टल में लॉन की सम्पूर्ण साइडों में बढ़िया किस्म की मौसमी कच्ची फुलवारी लगानी होगी जिसका खर्चा निविदादाता वहन करगा।

27. संस्थान व हॉस्टल्स में लगे पेड़–पौधों, गमलों एवं लॉन में निराई, खुदाई करनी होगी। अच्छी किस्म की खाद डालनी होगी, मिट्टी को बदलना होगा, पानी डालने की व्यवस्था करनी होगी। कीट आदि से बचाव हेतु दवाईयों को उपयोग समय–समय पर ठेकेदार को करना होगा। जिसका व्यय

अनुमोदित फर्म को वहन करना होगा। उपकरणों व औजारों की व्यवस्था भी ठेकेदार द्वारा की जावेगी। बागवानी के कार्य के लिए प्रशिक्षित व अनुभवी बागवानी को ही लगाया जाएगा।

28. कच्ची फूलवारी जो लगाई जानी है उसमें मौसमी पौधे प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार लगाने होगें जैसे डोलिया, कोचिया आदि बढ़िया किस्म के पौधे तथा मैन बिल्डिंग के सहारे–सहारे एक दम साफ रखा जावेगा तथा साईड में खाली जगह (बोर्डर) पर तथा खाली गमलों के लिये मौसम के अनुसार कच्ची फुलवारी लगानी होगी।

29. ठेकेदार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह बागवानी व्यवस्था के लिये लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय सम्पूर्ण विवरण एवं नवीनतम फोटोग्राफ के दो प्रतियों में संस्थान में प्रस्तुत करें। इसके पश्चात् समय–समय पर होने वाले परिवर्तन की सूची संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उवलब्ध करवाते रहेगें।

30. ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों के सदाचरण के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी बागवान कर्मी द्वारा दुराचरण किये जाने, अभद्र व्यवहार करने अथवा नशे में पाये जाने पर संस्थान द्वारा उसे तत्काल परिसर के बाहर भेज दिया जावेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान का संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

31. बागवानी के दौरान जाने–अनजाने में संस्थान भवन या उसमें स्थित किसी सामान का कोई नुकसान अथवा क्षति पहुंचती है तो इसके संबंध में जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस क्षति शशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी। उक्त राशि तय करने का अधिकार संस्थान का होगा। जिसे ठेकेदार को मानना होगा।

32. बागवानी कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा कार्य प्रमाणित करने के उपरान्त प्रतिमाह चैक द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा। यदि बागवानी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को कटौती किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, कटौती की सीमा के संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का होगा।

33. यदि ठेकेदार बागवानी व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संस्थान को अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस व्यवस्था में होने वाले व्यय से दुगुनी राशि निविदादाता से वसूली योग्य होगी।

34. संस्थान दोनो हॉस्टल परिसर में घास के पार्को के अलावा सड़क पर जगह–जगह पर उग रही घास की सफाई करवाने का कार्य संविदाकार का होगा। सड़क पर घास नहीं उगने दी जावेगी। जंगली पेड़–पौधें को भी समय–समय पर हटाये जाने व पेड़ों की कटिंग की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। लॉन में खरपतवार को समय–समय पर निकालना होगा।

35. बागवानी से निकले कूडे को परिसर के बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

36. संस्थान भवन के कार्यक्रमों में सजावटी गमलों को लगाये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसका खर्चा संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

37. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह संस्थान परिसर का अवलोकन करके ही अपनी दरें अंकित करें।

38. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तो के साथ RTPP Act 2012 और RTPP Rules 2013 के समस्त नियम लागू होंगे।

(अ)–संस्थान में निम्नलिखित कार्य करने होगें:–

1. निविदाकार द्वारा संस्थान में निम्नलिखित कार्य करने होगे :– मैंन बिल्डिंग, नए हॉस्टल व पुराने हॉस्टल की सामने के लॉन, लॉन के अगल–बगल व गैलरी में लगे हुए सभी पेड़, पौधें, संस्थान की सभी बिल्डिंगों पर आवश्यकतानुसार बेलें चढ़ना, संस्थान के मुख्य भवन व नये हॉस्टल के बीच

खाली जगह में हरी पट्टी विकसित करना व आवश्यकतानुसार पेड़ पौधे लगाना, पुराना हॉस्टल व उसके सामने तथा जवाहर कला केन्द्र के बगल में आवश्यकतानुसार पेड़ पौधें लगाना, फुलवारी विकसित करना, संस्थान के परिसर में निर्देशानुसारसभी प्रकार के बागवानी संबंधी कार्य करना।

2. निविदादाता यह भली प्रकार समझ लें कि साधारण रूप से बगीचे तथा पौधों में पानी देने मात्र तक का कार्य बागवानी नहीं हैं, बागवानी से सम्पूर्ण संस्थान को अभिरूचिपूर्ण व संस्थान को पेड़ पौधों तथा फूलों से सजाना हैं जिसके लिए साधारण मजदूरों को लगाना पर्याप्त नहीं हैं।

3. निम्नलिखित सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी:–

(क) स्थायी प्रवृति के पौधें जो संस्थान में तैयार नहीं किए जा सकते हैं वह संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।

(ख) लॉन में लगाने हेतु घास, यदि संस्थान की मौजूदा घास से लेना सम्भव नहीं हो तो संस्थान द्वारा उपलब्ध काराई जावेगी। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।

(ग) ईंटें आदि आवश्यक हों। जिस पर व्यय संस्थान वहन करेगा।

(घ) पोधे लगाने हेतु घमले

(ब)–निम्न सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाऐगी:–

1. कच्ची फुलवारी हेतु पौध स्वयं सेवा प्रदाता को तैयार करनी होगी।

2. समस्त बागवानी औजार, उपकरण, पाईप, मशीन आदि।

39. अनुबन्ध की अवधि : अनुबन्ध की अवधि कर्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी।

40 निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत (9000/–) बिड़ प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना होगा।

41. सफल निविदादाता को 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

42. निविदा प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिभूति राशि का डी.डी. Indira Gandhi Panchayati Raj & Gramin Vikas Sansthan के नाम से बनवा कर निविदा के साथ संलग्न किया जावेगा

अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्ते मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

मय पूरा पता व मोबाईल नम्बर

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

निविदा वित्तीय प्रपत्र

कार्यालय में बागवानी संबंधी कार्य जॉब बेसिस पर करवाने के लिये वित्तीय निविदाः–

निविदादाता/फर्म का नामः .... स्थाई पताः ....
.... दूरभाष संख्या .... मोबाईल नंबर ....

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि रूपये (प्रतिमाह दो व्यक्तियों हेतु)	कुल राशि रूपये
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रूपये)	श्रमिकों की संख्या	राशि(प्रतिमाह प्रति ईकाई रूपये)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	जॉब बेसिस पर बागवानी	कुशल (बागवान)	8034	3	8034	13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 एवं 10 में ही निविदादाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी।

1. निविदादाता/फर्म द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
2. L-1 फर्म का निर्धारण कॉलम संख्या 10 में अंकित राशि के न्यूनतम के आधार पर होगा।
3. सर्विस चार्ज शुन्य भरने वाली फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. **सर्विस चार्ज समान होने की दशा में टर्नऑवर के आधार पर एल-1 फर्म का निर्धारण किया जायेगा।**

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये तो बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नामः ....

पत्र व्यवहार का पताः ....

मोबाईल नंबरः ....